29/6/22	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेंस ... जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 1/7/22 को पेश हो। [signature]
1/7/22	वं. वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। तहसीलदार मौके से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली, दस्तावेज, तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया वादी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर रजि. नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 81/2022

उनवान

1. ग्राम पंचायत कानपुरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 01/07/22

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम शिम्भूपुरा, पटवार हल्का महारकलां, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 6.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 17 की किस्म गै.मु. खारडा एवं कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजड दोयम थी। उक्त खसरा नम्बरान कुल किता 17 का कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर की किस्म ही इस वाद पत्र में विवादित है। जिसे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त किस्म के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर कुल किता 17 का कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर के गत खसरा नम्बर 66 के राजस्व रिकॉर्ड संवत 2001-2023 की जमाबन्दी में किस्म बंजड दोयम अंकित रही है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा गत खसरा नम्बर 66 के हाल खसरा नम्बरान [illegible] राजस्व रिकॉर्ड से नया राजस्व रिकॉर्ड बनाते समय खसरा नम्बर 66 के हाल खसरा नम्बरान वाद पत्र की किस्म बंजड दोयम के स्थान पर गै.मु. खारडा बिना किसी हक अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया जबकि सेटलमेन्ट विभाग को किसी भी खसरा नम्बरान की किस्म परिवर्तन करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

हक अधिकार प्राप्त नही था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए उक्त वर्णित भूमियों की किस्म गै.मु. खारडा गलत रूप से अंकित की गई है जबकि गत खसरा नम्बर 66 के हाल खसरा नम्बर बनाये जाते समय उक्त वर्णित खसरा नम्बर के अलावा अन्य खसरा नम्बर 178/920 रकबा 0.14 हैक्टेयर की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकित की गई है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वाद पत्र में उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की किस्म जो कि बंजड दोयम के स्थान पर गै. मु. खारडा गलत रूप से दर्ज की गई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा प्रतिवादी के यहां राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बरान की किस्म गै.मु. खारडा के स्थान पर गत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बंजड दोयम दुरूस्त करने बाबत् दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की तथा सक्षम न्यायालय में किस्म दुरूस्त करवाने के लिए वाद पत्र पेश करने के लिए कहा गया जिस कारण वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष पेश करना लाजमी आया है।

अतः वादी को निम्न अनुतोष प्रदान किये जावें:–

(क) वाद वादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम शिम्भूपुरा, पटवार हल्का महारकलां, भू. अभि. नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 6.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 17 का कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. खारडा के स्थान पर बंजड दोयम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने बाबत प्रतिवादी को आदेशित किया जावें ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली कें संबध में तहसीलदार [illegible] 23.06.2022 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम शिम्भूपुरा के हाल ख0न0 112 [illegible] 122, 137 से 140, 147, 148 कुल किता 17 रकबा 7.65 है0 सरकारी खाते में दर्ज है [illegible] सभी ख0न0 की किस्म गै0मु0 खारडा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर किता 17 के सा[illegible] ख0न0 66 से बने है। मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 लगायत 2023 के खाता संख्या 39 के अनुसार उक्त साबिक ख0न0 66 रकबा 30 बिघा 12 बिस्वा की किस्म बंजड दोयम दर्ज है। ग्राम शिम्भुपुरा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] जिला जयपुर

जमाबंदी सम्वत 2017–2020, 2021–2023, 2025–2028, 2029–2032 की जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में दर्ज साबिक ख0न0 66 रकबा 30 बिघा 12 बीस्वा की किस्म भी बंजड दोयम है।

उक्त मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2023 एवं संलग्न जमाबंदीयात के अनुसार साबिक ख0न0 66 से बने हाल ख0न0 112 से 122, 137 से 140, 147, 148 किता 17 रकबा 7.65 है0 की किस्म गै0मु0 खारडा के बजाय बंजड दोयम शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीया का वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्थी का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम शिम्भूपुरा, पटवार हल्का महारकलां, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 6.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकवा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकवा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकवा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 122 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकवा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकवा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 17 का कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. खारडा के स्थान पर बंजड दोयम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 01/07/22 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सीमा खेतान (R.A.S)

उनवान

1. ग्राम पंचायत कानपुरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर जरिये सरपंच/सचिव।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :–81/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू सीमा खेतान आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होंकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा वाके वाके ग्राम शिम्भूपुरा, पटवार हल्का महारकलां, भू.अभि.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 112 रकबा 6.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 17 का कुल रकबा 7.65 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. खारडा के स्थान पर बंजड दोयम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 01/07/22 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा खेतान)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:43 IST
Reason: SelfAttested